मैसर्स जसवंत टॉकीज

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, भीलवाड़ा

निर्णय दिनांक 12 नवम्बर, 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत एवं डी.के. जैन जेजे.)

राजस्थान मनोरंजन एवं कर अधिनियम, 1957(यथा संशोधित) धारा 10 - राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (यथा संशोधित) धारा 10- सिनेमैटोग्राफ़ के प्रदर्शक द्वारा बिना वैध टिकिट 878 दर्शकों को अनुमति दिया जाना- प्रति दर्शक 500/- रूपये जुर्माना और अतिरिक्त जुर्माना/शास्ति अधिरोपित करना। सुधार हेतु अभिनिर्णित - उचित नहीं। संशोधित से पूर्व धारा 10 का उल्लंघन कर बिना वैध टिकिट के प्रवेश करने वालों अौर व्यक्तियों की संख्या के बीच कोई संबंध नहीं था। यद्यपि संशोधित प्रावधान प्रति व्यक्ति शास्ति अधिरोपित करने की अनुमति देते है, परंतु वह कोई भूतकालीक प्रभाव नहीं रखता है और स्पष्टीकारक भी नहीं है - टिकिट की कुल राशि 3006/- रूपये के विरूद्ध प्रति दर्शक 500/- रूपये की दर से 4,39,000/- रूपये की शास्ति अनुचित है।

अपीलार्थी सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के प्रदर्शक है। वाणिज्यिक कर निरीक्षकों ने अपीलार्थी के सिनेमा हॉल निरीक्षण किया और 878 स्कूल के बच्चों को बिना टिकट के फिल्म देखना पाये गये। उसने धारा 06 (1) व (2) के तहत अपराध करने के लिये अपीलार्थी को कारण दर्शाओ और राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन अधिनियम, 1957 के तहत 500/-रूपये का प्रत्येक दर्शक के संबंध में जुर्माना लगाने के लिये नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने जुर्माना लगाने से इंकार किया। मूल्यांकन अधिकारी ने

प्रति दर्शक 500/- रूपये की दर से जुर्माना लगाया और धारा 10(3)(बी) उक्त अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना अधिरोपित किया। कमिश्नर (अपील में) ने उक्त अधिनियम की धारा 10(3)(ए) के तहत रूपये 500/- रूपये का जुर्माना (अपील) के तहत दण्ड बरकरार रखा, जबकि धारा 10(3)(बी)(iii) के अंतर्गत जुर्माने के आदेश को अपास्त कर दिया। पीड़ित अपीलार्थी ने अपील पेश की। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया था कि टिकिट की कुल लागत रूपये 3006/- थी और प्रति दर्शक रूपये 500/- की दर से रूपये 4,39,000/- का जुर्माना उचित नहीं है। कराधान बोर्ड ने भी माना कि जुर्माना प्रति दर्शक 500/- रूपये की दर से अधिरोपित नहीं किया जा सकता था और अधिकतम जुर्माना रूपये 500/- लगाया जा सकता था। प्रत्यर्थी ने पुनरीक्षण याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन अधिकारी द्वारा लगाये गये दण्ड को बरकरार रखा इसलिए वर्तमान अपील पेश की गई।

इस न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की गई और अभिनिर्धारित किया गया-

1.1 राजस्थान मनोजरंन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा 10 को दिनांक 31 जुलाई, 1998 से संशोधित किया गया है।इस संशोधित प्रावधान द्वारा प्रति व्यक्ति जुर्माने को अनुमति दी है। धारा 10(3)(बी) दो प्रकार के जुर्माने का विचार करता है। उपखण्ड (अ) प्रथम प्रकार के मामलों से संबंधित है, जबकि उपखण्ड (बी) का (1) व (2) दूसरे प्रकार के मामलों से संबंधित है। विचारणीय मामला धारा 10 के उपखण्ड 3 के (ए) खण्ड से संबंधित है। यदि हम राज्य की और से दिये गये तर्क पर मनन करे तो प्रति व्यक्ति 500/- रूपये की दर से जुर्माना है तब कोई कारण नहीं है कि प्रति व्यक्ति जुर्माना अधिरोपित करने के विर्निदिष्ट प्रावधान के संशोधन की आवश्यकता थी। [पेरा -7] [1082-ए, बी, सी]

1.2 कर दायित्व 3006/- रूपये के स्थान पर 4,39,000/- रूपये अधिरोपित

करना भी अप्रासांगिक है। यद्यपि प्रत्येक मामले में मात्रा संबंधित प्रसंग नहीं होगी, परंतु संविधि की योजना के अवलोकन से स्पष्ट है कि उल्लंघन पर जोर दिया गया है। मुख्यतः प्रारम्भिक उल्लंघन किसी निश्चित समय पर बिना विधिक टिकिट के प्रवेश कराये गये व्यक्तियों का है। जिनका व्यक्तियों की संख्या के साथ कोई संबंध नहीं है। प्रति व्यक्ति के लिये प्रावधानो को मजबूत बनाया गया है, परंतु संशोधन को भूतकालीन प्रभाव नहीं दिया गया है ना ही उसकी प्रकृति में स्पष्ट किया गया है। इसलिए उच्च न्यायालय का मत सही नहीं है। कर बोर्ड का निष्कर्ष की प्रति व्यक्ति 500/- रूपये जुर्माना का दायित्व अधिरोपित नहीं किया जाना ठीक है और अधिकतम जुर्माना 500/- रूपये अधिरोपित किया गया था, सही मत था। [पेरा 9 व 10] [1084-सी, डी, ई]

महाराणा टॉकीज भीलवाड़ा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, (2004) (1) एसटीटी 237 (राजस्थान उच्च न्यायालय) एवं राजस्थान राज्य व अन्य बनाम आरटीटी व अन्य, 2003 डब्ल्यूएलसी, (राजस्थान), मार्गदर्शक

सिविल अपीलीय क्षैत्राधिकारः सिविल अपील नंबर 5161/2007।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर बैंच, एस.बी. सिविल (सेल्स टेक्स) पुनरीक्षण नंबर 173/2000 में पारित किये गये अंतिम आदेश व निर्णय 03.03.2006 से।

डॉ० मनीष सिंघवी एवं पी.वी योगेश्वरन अपीलार्थी की ओर से।

अरूणेश्वर गुप्ता, ए.ए.जी. नवीन कुमार सिंह, मुकुल सुद और शाश्वत गुप्ता प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ० अरिजित पसायत, जे० के द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर बैंच, जोधपुर के एकल पीठ के द्वारा प्रत्यर्थीगण द्वारा पेश की गई पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर, पारित निर्णय को चुनौती दी गई है। उक्त पुनरीक्षण याचिका राजस्थान सेल्स टैक्स अधिनियम, 1994 (संक्षेप में'अधिनियम') की धारा 86 के अंतर्गत पेश की गई थी।

3. तथ्यात्मक स्थिति जो कि पूर्णतः अविवादित रही है। इस प्रकार हैः

अपीलार्थी सिनेमेटोग्राफ फिल्मस के प्रदर्शक है। दिनांक 03-02-1996 को अपीलार्थी के सिनेमाहॉल को वाणिज्यिक कर निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया गया। उस समय सुबह के शो में फिल्म 'अलादीन' दिखाई जा रही थी। निरीक्षण के समय 878 दर्शक फिल्म को बिना टिकिट देखते हुए पाये गये। यह पाया गया कि दैनिक संग्रह का रजिस्टर जो अपीलार्थी द्वारा संधारित किया जाता था वो उचित प्रकार से संधारित नहीं था। निरीक्षकों के द्वारा रजिस्टर में रेखा खींचकर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर किये गये ताकि कोई और प्रविष्टि उसके बाद नहीं की जा सके। इस आरोप के साथ एक कारण बताऔ नोटिस कि अपीलार्थी को 878 दर्शक बिना टिकिट प्रवेश कराये हेतु अंतर्गत धारा 10 राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (संक्षेप में 'मनोरंजन अधिनियम') के तहत प्रथम दृष्टया इस मत के साथ दिया गया कि मनोरंजन अधिनियम की धारा 06(1) व 6(2) के तहत अपराध किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उसका जवाब पेश कर कहा गया कि एक स्कुल की बालिका विद्यार्थीगण फिल्म देखने के लिये गई थी जो कि बच्चो के लिये था और किसी भी प्रकार से प्रति दर्शक 500/- रूपये का जुर्माना अधिरोपित किये जाने का गुंजाईश नहीं थी। वाणिज्यिक कर अधिकारी, भीलवाड़ा का मत था कि प्रति दर्शक 500/- रूपये की दर से जुर्माना अधिरोपित किया जाना था और उसके पश्चात धारा 10(3)(बी) के तहत अतिरिक्त 500/- रूपये जुर्माना राशि अधिरोपित की जानी थी। अधिकारी का यह भी मत था कि

मात्र यह तथ्य कि महिला आश्रम के बच्चों को फिल्म दिखाई जा रही थी और बच्चो की संख्या गिनने के बाद टिकिट स्कूल के अधिकारियो को दिये गये थे, प्रासांगिक नहीं है।

निरीक्षण सुबह 10.00 बजे किया गया था जब स्कूल के बच्चों ने हॉल में प्रवेश किया ही था और इसलिए निरीक्षण शो शुरू होने से पहले ही हो चुका था। इस आंकलन आदेश को आयुक्त अपील के समक्ष चुनौती दी गई। आयुक्त ने यह पाया कि सभी टिकिट सिनेमाघर के मैनेजर के पास थे, चूंकि प्रत्येक दर्शक के कब्जे में टिकिट नहीं थे इसलिए यह उल्लंघन था। इसलिए जुर्माना अंतर्गत धारा 10(3)(ए) मनोरंजन अधिनियम को बरकरार रखा गया तथा जुर्माना अंतर्गत धारा 10(3)(बी)(3) को अपास्त कर दिया गया।

अपीलार्थी ने इस आदेश के विरूद्ध राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर (संक्षेप में 'कर बोर्ड') में अपील दायर की। कर बोर्ड के समक्ष यह तर्क दिया गया कि सभी टिकिटों कुल राशि 3006/- रूपये थी और प्रति दर्शक 500/- रूपये से कुल जुर्माना राशि 4,39,000/- रूपये असहनीय थी। कर बोर्ड ने पाया कि जुर्माना प्रति दर्शक 500/- रूपये दर से नहीं होकर अधिकतम जुर्माना 500/- रूपये अधिरोपित करना था।

प्रत्यर्थीगण द्वारा उपरोक्तानुसार इस आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका पेश की गई और उसमें दिये गये आदेश के अनुसार मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अधिरोपित की गई जुर्माना राशि को बरकरार रखा गया।

4. अपील के समर्थन में अपीलार्थी की और से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालय स्वयं के द्वारा महाराणा टॉकीज भीलवाड़ा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, (2004) (1) एस०टी०टी०, 237 पर निर्भर था। जो कि

राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा राजस्थान राज्य व अन्य बनाम आर०टी०टी० व अन्य, 2003 डब्ल्यू०एल०सी०,' राजस्थान, 306 में दिये गये अपने मत को उपेक्षित करने वाला था। जिसमें निर्णित किया गया था कि जुर्माना राशि प्रति व्यक्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्णित किया है कि बाद का संशोधन स्पष्ट नहीं था।

5. दूसरी तरफ (इसके विपरीत) राज्य की और से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आदेश का समर्थन किया।

6. विधिक प्रावधान की वैधानिक इतिहास पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

राजस्थान मनोजरंन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा 10 (सन 1982 के पूर्व)-

"10 अपराध और शास्तियां- 1. तत्समय लागू किसी भी विधि के प्रावधानों में निहित होने के बाद भी किसी भी धारक द्वारा किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिये दिये गये टिकिट को लाभ के लिये पुनः नहीं बेचा जायेगा।

(2) जो भी उपधारा एक के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रवेश के लिये टिकिट को दोबार बेचेगा वो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि में जुर्माने के लिये दायी होगा। जो कि 200/- रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा।

(3)(ए) किसी भी मनोरंजन का मालिक या उसके द्वारा उस मनोरंजन स्थान पर नियुक्त किया गया कोई कर्मचारी किसी व्यक्ति को ऐसे मनोरंजन स्थल में धारा 06 की उपधारा 1उपधारा 2 के उल्लंघन में प्रवेश कराता है अथवा

(बी) किसी मनोरंजन का स्वामी जो

(i) विहित समय में उसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत बकाया कर देने में असफल् रहता है या

(ii) इस अधिनियम के अंतर्गत बकाया टैक्स को देने में धोखाधड़ी से बचता है। या

(iii) इस अधिनियम के किसी प्रावधान/और उसके तहत बनाये गये नियमों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अधिनयम में किसी अन्य शास्ति का प्रावधान नहीं किया गया है।

वो उसके द्वारा देय शास्ति के अतिरिक्त शास्ति के इस प्रकार दायी होगा। जो कि 500/- रूपये से अधिक नहीं होगी।"

राजस्थान मनोजरंन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा 10 (1982 से)-

"10 अपराध और शास्तियां- 1. तत्समय लागू किसी भी विधि के प्रावधानों में निहित होने के बाद भी किसी भी धारक द्वारा किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिये दिये गये टिकिट को लाभ के लिये पुनः नहीं बेचा जायेगा।

(2) जो भी उपधारा एक के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रवेश के लिये टिकिट को दोबार बेचेगा वो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि में जुर्माने के लिये दायी होगा। जो कि 200/- रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा।

(3)(ए) किसी भी मनोरंजन का मालिक या उसके द्वारा उस मनोरंजन स्थान पर नियुक्त किया गया कोई कर्मचारी किसी व्यक्ति को ऐसे

मनोरंजन स्थल में धारा 06 की उपधारा 1 उपधारा 2 के उल्लंघन में प्रवेश कराता है अथवा

(बी) किसी मनोरंजन का स्वामी जो-

(i) विहित समय में उसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत बकाया कर देने में असफल् रहता है या

(ii) इस अधिनियम के अंतर्गत बकाया टैक्स को देने में धोखाधड़ी से बचता है या

(iii) इस अधिनियम के किसी प्रावधान/और उसके तहत बनाये गये नियमोका उल्लंघन करता है जिसक लिए इस अधिनयम में किसी अन्य शास्ति का प्रावधान नहीं किया गया है। शास्ति के रूप में भुगतान करने के लिये दायी होगा-

(i) उपधारा (9) (i) व (iii) और उपधारा बी में वर्णित मामलों में उस पर बकाया कर के अतिरिक्त राशि जो कि कुल 500/-रूपये से अधिक नहीं होगा और

(ii) उपधारा बी के भाग (ii) में वर्णित मामलों में उस पर देय कुल टैक्स के अतिरिक्त राशि जो कि कुल 500/- रूपये से अधिक नहीं होगी अथवा कर की राशि का दुगना जो भी अधिक हो।

(4) निर्धारित प्राधिकारी जो कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद से नीचे का नहीं होगा। प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात उपधारा (3) में वर्णित शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(5) प्रभावित व्यक्ति उपधारा (3) में उस पर अधिरोपित शास्ति के आदेश को उस पर संसूचित होने की दिनांक से एक माह के अंदर विहित प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा।"

संशोधित धारा 10 राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 जो कि दिनांक 31-07-1998 से लागू है, निम्नानुसार है-

"10 अपराध और शास्तियां- 1. तत्समय लागू किसी भी विधि के प्रावधानों में निहित होने के बाद भी किसी भी धारक द्वारा किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिये दिये गये टिकिट को लाभ के लिये पुनः नहीं बेचा जायेगा।

2. जो भी उपधारा एक के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रवेश के लिये टिकिट को दोबारा बेचेगा वो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि में जुर्माने के लिये दायी होगा। जो कि 200/- रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा।

3.(ए) किसी भी मनोरंजन का मालिक या उसके द्वारा उस मनोरंजन स्थान पर नियुक्त किया गया कोई कर्मचारी किसी व्यक्ति को ऐसे मनोरंजन स्थल में धारा 06 की उपधारा 1 उपधारा 2 के उल्लंघन में प्रवेश कराता है अथवा

(बी) किसी मनोरंजन का स्वामी जो

(i) विहित समय में उसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत बकाया कर देने में असफल् रहता है या

(ii) इस अधिनियम के अंतर्गत बकाया टैक्स को देने में धोखाधड़ी से बचता है। या

(iii) इस अधिनियम के किसी प्रावधान/और उसके तहत बनाये गये नियमों का

उल्लंघन करता है जिसक लिए इस अधिनयम में किसी अन्य शास्ति का प्रावधान नहीं किया गया है। निम्न प्रकार से शास्ति के लिये दायी होगा-

(i) उपधारा ए व उपधारा बी के भाग 1 के तहत मामलो में उसके द्वारा देय टैक्स के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति राशि जो कि 100/-रूपये से अधिक नहीं होगी।

(ii) उपधारा बी के भाग 1 में वर्णित विज्ञापन कर के संबंध में और उपधारा बी के भाग III के मामलों में उसके द्वारा देय टैक्स के अतिरिक्त राशि जो 500/- रूपये से अधिक नहीं होगी।

(iii) उपधारा बी के भाग 2 में वर्णित मामलों में उसके द्वारा देय टैक्स के अतिरिक्त राशि जो 500/- रूपये से अधिक न होगी या देय टैक्स का दुगना जो भी अधिक हो।

(4) निर्धारित प्राधिकारी जो कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद से नीचे का नहीं होगा। प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात उपधारा 3 में वर्णित शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।"

7. यहां यह उल्लेखनीय है कि धारा 10 मनोरंजन अधिनियम जो कि 31 जुलाई, 1998 से संशोधित किया गया है। संशोधित प्रावधान प्रति व्यक्ति शास्ति अधिरोपित करने की अनुमति देते है। धारा 10(3)(बी) दो प्रकार के जुर्माने को विचार करता है। प्रथम प्रकार के मामलों से जो उपधारा (ए) और उपधारा (बी) (i) व (iii) से संबंधित है। जबकि दूसरे प्रकार की शास्ति धारा 10 की उपधारा 3(बी)(ii) के मामलों से संबंधित है। विचारणीय मामला धारा 10 के उपखण्ड 3 के (ए) खण्ड से संबंधित है। यदि स्थिति स्पष्ट है, जैसा कि राज्य की और से दिये गये तर्क के अनुसार यह है कि प्रति व्यक्ति 500/- रूपये की दर से जुर्माना है तब कोई कारण नहीं है कि प्रति व्यक्ति जुर्माना

अधिरोपित करने के विर्निदिष्ट प्रावधान के संशोधन की आवश्यकता थी।

8. संशोधन के उद्धेश्य और कारणों का विवरण भी इस स्थिति पर प्रकाश डालता है। उसको इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए।

(बी) राजस्थान मनोरंजन एवं प्रचारक कर अधिनियम, 1957 में संशोधन-

राजस्थान मनोरंजन कर अधिनियम, 1957 में कुछ संशोधन को आवश्यक माना गया है और यह पिछले काॅफी समय से आवश्यक भी थे।

राजस्थान सेलटैक्स अधिनियम, 1954 के निरस्तीकरण होने से और नये अधिनियम के 1994 से लागू होने से 'सेलटैक्स अधिनियम' शब्द के रूप में परिभाषा और 1957 के अधिनियम के कुछ नये प्रावधानों के समावेश से 'अपीलार्थी प्राधिकारी', 'कर बोर्ड' और 'अधिकरण' की परिभाषाऐ इस अधिनियम की उपधारा 09 के द्वारा समावेशिक किये जाने का प्रस्ताव है।

वसूली के लिये सीमा निर्धारित करने, नई धारा 5 बी. बी., विशेष प्रावधानों के द्वारा बकाया मनोरंजन टैक्स की प्रभावी वसूली को सुनिश्चित करने के लिये धारा 09 का प्रतिस्थापन, बकाया देयता का किश्तों भुगतान को सक्षम बनाने हेतु, नयी धारा 05 बी.बी., वास्तविक हार्डशीप के मामलों में आयुक्त को शास्ति और ब्याज को कम करने या माफ करने हेतु सक्षम बनाने के लिये, नयी धारा 09 सी का समावेशन, प्रतिस्थापन, मामले के अनुसार उपधारा 12,13 व 14 क्रमशः विधेयक में अंतर्विष्ट किया गया है।

इसके अतिरिक्त शास्ति प्रावधानों को और अधिक व्यवहारिक बनाने के लिये धारा 10(3)(बी) को अधिनियम की उपधारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रथम अपील के लिये वैधानिक उपचार प्रदान करने के लिये

नई धारा 13 ए, अपीलांट प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिये नयी धारा 13 बी, अधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये, नयी धारा 13 सी राजस्व हित के लिये विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये गलत या प्रतिकूल आदेश के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण पेश करने की शक्ति, नयी धारा 13 डी, अभिलेख पर प्रत्यक्ष रूप से गलती में सुधार के लिये नई धारा 13 ई, प्रावधानों को अधिनियम की धारा 19 के द्वारा समावेशित करने का विधेयक प्रस्ताव है।

1957 के अधिनियम की खण्ड 10, 11, 17, 20 और 21 के द्वारा कुछ तात्कालीन और छोटे संशोधन भी प्रस्तावित किये गये है।

राजस्थान वित्त अधिनियम 1998 के संबंधित प्रावधान -

15. राजस्थान अधिनियम, 1956 का नंबर 24 की संशोधित धारा 10 मुख्य अधिनियम की धारा 10 में -

(ए) विद्यमान उपधारा (3) के खण्ड (बी) को निम्न खण्ड से प्रतिस्थापित किया जायेगा। इस प्रकार -

"(बी) किसी मनोरंजन का स्वामी जो -

(i) विहित समय में उसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत बकाया कर देने में असफल रहता है या

(ii) इस अधिनियम के अंतर्गत बकाया टैक्स को देने में धोखाधड़ी से बचता है। या

(iii) इस अधिनियम के किसी प्रावधान/और उसके तहत बनाये गये नियमों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अधिनयम में किसी अन्य शास्ति का प्रावधान नहीं किया गया है। शास्ति के रूप में

भुगतान करने के लिये दायी होगा-

(i) खण्ड (ए) व खण्ड (बी) उपखण्ड (i) में वर्णित मनोरंजन कर के मामलों में देय टैक्स के अतिरिक्त, राशि जो 100/- रू० प्रति व्यक्ति से अधिक नहीं होगी।

(ii) विज्ञापन कर के संबंध में खण्ड (ब) के उपखण्ड (i) से संबंधित मामलों के लिये और खण्ड (ब) उपखण्ड (iii) में वर्णित मामलों के लिये उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त कुल राशि जो 500/- रू० से अधिक ना हो।

(iii) खण्ड (ब) के उपखण्ड (ii) से संबंधित मामलों के लिये उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त कुल राशि जो 500/- रूपये से अधिक ना हो या कुल देय कर का दुगना दोनों में जो भी अधिक हो।

(ब) उपधारा 05 विलुप्त की जायेगी।

9. कर दायित्व 3006/- रूपये के स्थान पर 4,39,000/- रूपये अधिरोपित करना भी अप्रासांगिक है। यद्यपि प्रत्येक मामले में मात्रा संबंधित प्रसंग नहीं होती, परंतु संविधि की योजना के अवलोकन से स्पष्ट है कि उल्लंघन पर जोर दिया गया है। मुख्यतः प्रारम्भिक उल्लंघन किसी निश्चित समय पर बिना विधिक टिकिट के प्रवेश कराये गये व्यक्तियों का है। जिनका व्यक्तियों की संख्या के साथ कोई संबंध नहीं है। प्रति व्यक्ति के लिये प्रावधानो को मजबूत बनाया गया है, परंतु संशोधन को भूतकालीन प्रभाव नहीं दिया गया है ना ही उसकी प्रकृति में स्पष्ट किया गया है।

10. जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है। प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि संशोधन प्रकृति में स्पष्टीकारक प्रतीत नहीं होता है। इसलिए

उच्च न्यायालय का मत सही नहीं है। कर बोर्ड का निष्कर्ष सही मत है।

11. अपील स्वीकार किये जाने योग्य है जैसा हम निर्देश देते है। खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

एन.जे. अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सरिता मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।